JRGBank
झारखण्ड का अपना बैंक

झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय, राँची

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में पेंशन 01.11.1993 से लागू करने के संबंध में

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार (पत्र संख्या F.No.8/4/2024-RRB दिनांक 03.10.2024), यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में पेंशन योजना को 01.11.1993 से लागू किया जाए (जो वर्तमान में 01.04.2018 से लागू है)।

अत:, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यह सूचित किया जाता है की ऐसे सभी कर्मचारी जो 31.03.2010 को या उससे पहले बैंक की सेवा में थे एवं 31.03.2018 तक सेवानिवृत्ति / अनिवार्य सेवानिवृत्ति/ पदच्युत/ सेवा से हटाए गये /सेवा समाप्त किये गये/ इस्तीफा/ मृत हो चुके है एवं वर्तमान में पेंशन नहीं ले रहे हैं, ऐसे सभी कर्मचारी/ कर्मचारियों के आश्रित, पेंशन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को बैंक की वेबसाइट www.jrgbank.in से प्राप्त करके JRG बैंक की किसी भी शाखा में आवेदन कर सकते है,जहाँ से वे पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। कृपया ध्यान दे, पेंशन/अनुकंपा भत्ता हेतु ऊपर वर्णित सभी कर्मचारियों को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर एवं दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को तीस दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से प्राप्त बैंक अंशदान राशि (ब्याज सहित) बैंक को वापस करना सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा वे पेंशन/ अनुकंपा भत्ता के अनिक्छुक माने जायेंगे।

नोट : पदच्युत/ सेवा से हटाए गये / सेवा समाप्त किये गये कर्मचारियों के मामलों मे अनुकंपा भत्ता के निर्धारण का अधिकार सेवा समाप्त करने वाले सक्षम प्राधिकारी से उच्चतर प्राधिकारी को होगा ।

दिनांक : 09.10.2024 **महाप्रबंधक**

10X10